मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/लेखा/1672 भोपाल, दिनांक 11.12.2015

प्रति,

संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक/तकनीकी कार्यालय..................

विषय :- मण्डी समितियों, आंचलिक कार्यालय एवं तकनीकी संभागों से होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. का सत्यापन कराने बावत्।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डी समितियों, आंचलिक कार्यालयों एवं तकनीकी संभागों में विभिन्न प्रयोजनों एवं निर्माण कार्यो के लिए धरोहर राशि एवं परफॉरमेंस गारन्टी की एफ.डी.आर. एवं बैंक गारन्टी के रूप में प्राप्त होती है। उपरोक्त प्राप्त होने वाली राशि के संधारण एवं सत्यापन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :

01. विभिन्न प्रयोजनों एवं कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. की पृथक-पृथक पंजी संधारित की जाए। संधारित होने वाली पंजी में प्रत्येक बैंक गारन्टी एवं एफ.डी.आर. का विस्तृत विवरण अंकित किया जाए।

02. उपरोक्तानुसार बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. यथासंभव मण्डी मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जहां कार्य संपादित किया जा रहा है उसी स्थान के बैंक द्वारा जारी होना चाहिए।

03. उपरोक्तानुसार प्राप्त बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. का सत्यापन आगामी कार्य दिवस में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा सत्यापन होने पर उसका संदर्भ उपरोक्त संधारित पंजी में किया जाए।

04. उपरोक्त के अलावा अन्य स्थानों के बैंक से जारी की गई बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. जिनकी बैंक शाखा कार्य स्थल मण्डी/जिला मुख्यालय में है, को भेजकर उनका सत्यापन कराया जाए।

05. क्रमांक 03 के अंतर्गत प्राप्त हुई अन्य स्थानों की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. का सत्यापन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संबंधित बैंक को भेजा जाकर

कराया जाए तथा तदाशय का संदर्भ संधारित किए जाने वाली पंजी में अनिवार्य रूप से किया जाए।

06. यदि बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. सत्यापन नहीं होती है तो त्वरित वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में लाकर वैधानिक कार्यवाही (एफ.आई.आर.) की जाए।

07. पूर्ववर्ती बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही त्वरित की जाकर 15 दिवस में उसका पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

(राजेश सिंह कौरव)
अपर संचालक(वित्त)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/लेखा/1673

भोपाल, दिनांक 11 .12.2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. समस्त अपर संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. मुख्य अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
04. उप संचालक(वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

अपर संचालक(वित्त)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल